रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 782] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 1, 2018/कार्तिक 10, 1940
No. 782] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 2018/KARTIKA 10, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2018

सा.का.नि.1079(अ).-- केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुध नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयुध नियम, 2016 में,-

(i) नियम 90 में,-

(क) दोनों स्थानों पर आने वाले शब्द और अक्षर "प्ररूप X" के स्थान पर "प्ररूप X-क" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उप नियम (1) में "भारतीय राज्यक्षेत्र को छोड़ना है" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"और निर्यात अनुज्ञप्ति, रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विद्यमान मानक प्रचालन प्रक्रिया द्वारा भी शासित होगा" ।

(ii) नियम 91 में दोनों स्थानों पर आने वाले शब्द और अक्षर "प्ररूप X" के स्थान पर "प्ररूप X-क" रखा जाएगा;

(iii) नियम 92 में उप नियम (1) और (7) में शब्द और अक्षर "प्ररूप X" के पश्चात् "और प्ररूप X-क" शब्द और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iv) नियम 99 के उप नियम (1) में "या प्ररूप X में आयात और निर्यात अनुज्ञप्ति धारण करने वाला" शब्दों और अक्षर के स्थान पर, "या प्ररूप X में आयात अनुज्ञप्ति या प्ररूप X-क में निर्यात अनुज्ञप्ति धारण करने वाला" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(v) अनुसूची II में स्तंभ संख्यांक 8 में-

(क) मद संख्यांक 9(ख) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"X-क";

(ख) मद संख्यांक 9(ग) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"X-क";

(vi) अनुसूची III में-

(क) भाग 1 में,-

(i) प्ररूप vii में प्ररूप के पश्चात् परंतु शर्तों के पूर्व निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण- यह प्ररूप अग्न्यायुधों और उनके निम्नलिखित भागों को लागू होगा, अर्थात्:-

(क) नाल

(ख) सिलेंडर

(ग) बोल्ट

(घ) ब्रीच लाक

(ङ) स्लाइड

(च) फायरिंग पिन

(छ) अभिग्राही या फ्रेम

(ज) निष्कर्षक

(झ) हथौड़ा/आघातक"

(ii) प्ररूप X में "आयुधों और गोला बारूद के लिए संयुक्त आयात/निर्यात अनुज्ञप्ति
आयात ☐ निर्यात ☐ पुन:आयात के लिए निर्यात ☐ अभिवहन में ☐ ";
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"आयुधों और गोला बारूद के लिए संयुक्त आयात अनुज्ञप्ति

आयात ☐ अभिवहन में ☐

पुन:निर्यात के लिए आयात ☐ पुन:निर्यात के लिए परिवहन ☐ ";

(iii) प्ररूप X के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप X-क

आयुधों और गोला बारूद के लिए संयुक्त निर्यात अनुज्ञप्ति

निर्यात ☐ पुन:आयात के लिए निर्यात ☐ पुन:निर्यात के लिए परिवहन ☐

(1)	(2)	(3)
1.	अनुज्ञप्ति सं. यूआईएन	
2.	अनुज्ञप्तिधारी/निर्यातक का नाम, विवरण और पता	
3.	निर्यात/ क्रय आदेश के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अभिकर्ता (यदि कोई हो) का नाम, विवरण और पता	
4.	आयुध	
	विवरण	
	आईटीसी (एचएस) कोड	
	मात्रा	
5.	गोला बारूद	
	विवरण	
	आईटीसी (एचएस) कोड	
	मात्रा	
6.	क्रय आदेश सं.	
7.	प्रयोजन जिसके लिए अपेक्षित है	
8.	गंतव्य स्थान और मार्ग	
9.	अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि	
10.	एफओबी वेल्यू	
11.	विदेशी क्रेता का नाम	
12	आयातक का नाम	
13.	निर्यात का पत्तन आयात का पत्तन	
14.	निर्यात का अंतिम गंतव्य	
15.	अंत उपयोक्ता का नाम	

"स्पष्टीकरण— यह प्ररूप अग्न्यायुधों और उनके निम्नलिखित भागों को लागू होगा, अर्थात्:—

(ञ) नाल;

(ट) सिलेंडर;

(ठ) बोल्ट;

(ड) ब्रीच लाक;

(ढ) स्लाइड;

(ण) फायरिंग पिन;

(त) अभिग्राही या फ्रेम;

(थ) निष्कर्षक;

(द) हथौड़ा/आघातक।

शर्तें

1. विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति, आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के वर्तमान उपबंधों के अधीन प्रदान की जाती है।

2. प्रत्येक पैकेज की विषय वस्तु का कोइ लेखा उन पैकेजों पर सुपाठ्य रूप से लिखा होना चाहिए और प्रत्येक पैकेज "आयुध" या "गोला बारूद" या "भाग" और "संघटक" यथास्थिति शब्द से चिन्हित होगा ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके।

3. वस्तुओं को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट से भिन्न अन्य किसी मार्ग से प्रवहण नहीं किया जाएगा और वस्तुओं के गंतव्य के स्थान पर पहुंचने से पूर्व न तो प्रपुंज को तोड़ा जाएगा और न ही रोका जाएगा।

4. वस्तुओं को केवल किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदाय किया जाएगा जो उन्हें प्राप्त करने का विधिपूर्वक हकदार है।

5. यह कि निर्यातित मद का अंतिम उपयोक्ता प्रमाण पत्र में घोषित के अलावा प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

6. अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय होगी और तीन मूल प्रतियों में जारी होगी।

7. (क) निर्यात अनुज्ञप्ति की पहली प्रति को निर्यात की तारीख से दस दिन के भीतर उसे जारी करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को वापस किया जाएगा और उस तारीख को भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(ख) उसकी दूसरी प्रति को, निर्यात अनुज्ञप्ति पर कथित निर्यात तारीख के पश्चात् नब्बे दिन की अवधि के भीतर उसे जारी करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को वापस किया जाएगा, जिस पर अंत उपयोक्ता के हस्ताक्षर, शासकीय तारीख और नाम की मुद्रा होनी चाहिए ताकि उसे प्रदाय सत्यापन प्रमाण पत्र के रूप में माना जाए :

परंतु खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में असफलता के परिणामस्वरूप निर्यातक के सभी लंबित और भावी निर्यात संव्यवहारों को उस समय तक निलंबित कर दिया जाएगा, जब तक कि उक्त शर्तों का सम्यक् रूप से अनुपालन न कर दिया जाए।

8. निर्यात संव्यवहार पूरा हो जाने पर, निर्यातकर्ता इस प्रकार निर्यात किए जाने वाले अग्न्यायुध या गोला बारूद से संबंधित निर्यात अनुज्ञप्ति, लदाई के बीजक या वायुयान के बीजक, पैकिंग सूचियों और निर्यात बीजक की मूल प्रतियों को धारण करेगा और जब कभी जारी करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए, उसे उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

9. यह कि मूल निर्यातक सरकार की पूर्व प्राधिकारिता के बिना मदों को तत्पश्चात् अंतरित (पुन:निर्यातित) नहीं किया जाना चाहिए।

10. यह कि मदों को अंत उपयोक्ता प्रमाण पत्र में यथा उपदर्शित के अलावा अपयोजित, विक्रय या किसी तीसरे पक्ष को चाहे जो भी हो, अंतरित नहीं किया जाना चाहिए।

11. यदि अपेक्षित हो तो सत्यापन या प्रमाणन उपलब्ध करवाना जिससे मदों का धारण किया जाना घटित हुआ है।

12. मदों को किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो शस्त्रों के सामूहिक विनाश के विकास और उनकी प्रदाय प्रणाली से संबंधित हैं।

13. यह अनुज्ञप्ति भारत सरकार की समय-समय पर यथा संशोधित आयात और निर्यात नीति के अनुपालन के और अधीन है।

14. यह अनुज्ञप्ति अधिकतम दो वर्ष या आदेश के पूर्ण होने जो भी पहले हो तक विधिमान्य है और अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता, अपेक्षाओं और गुणागुणों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर बढ़ायी जा सकेगी।

15. फर्म को निदेशित किया जाता है कि प्रत्येक परेषण के निर्यात के पश्चात् संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित अनुज्ञप्ति की एक प्रति (निर्यातित मद की मात्रा) प्रस्तुत करे।

16. यह अनुज्ञप्ति आवेदन में सूचित भरण पत्तन /लदाई पत्तन के लिए जारी की जा रही है। यदि तत्पश्चात् कोई परिवर्तन होता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी से पृष्ठांकन अपेक्षित होगा।

17. निर्यात आदेश के निष्पादन पर, विदेशी क्रेता (अनुज्ञप्ति में यथावर्णित) निष्पादन के बारे में अधोहस्ताक्षरी को और विदेश के राजदूतावास या मिशन को अवश्य ही सूचित करेगा।

तारीख ..... माह.... 20..... (मुद्रा) (हस्ताक्षर)

-अनुज्ञापन प्राधिकारी..................
-पदनाम...................................

स्थान......................";

(ख) भाग ।। में,-

(i) 'प्ररूप क-10' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप क-10

आयात, परिवहन, अभिवहन में और पुन:निर्यात के लिए आयात प्ररूप X में आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप

(नियम 87, 88, 89, और 92 देखें)

आवेदक की पहचान		
(1)	(2)	(3)
1.	आवेदक का नाम	
2.	यूआईएन	
3.	पहले से आयुध अनुज्ञप्ति रखने का विवरण और उसकी संख्या	
4.	व्यष्टि/कंपनी की नामावली	
5.	कारबार पता	
	दूरभाष	
	मोबाइल सं0	
	ई-मेल	
6.	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	
7.	आवेदन करने के लिए अनुज्ञप्ति की श्रेणी	आयात - ☐ परिवहन ☐ अभिवहन में - ☐ पुन:निर्यात के लिए आयात ☐
8.	अनुसूची 1 के अनुसार आयुध या गोला-बारूद की श्रेणी जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है –	
9.	पैकेजों की संख्या	
10.	परेषण के भाग को निर्मित करने वाले आयुध की मात्रा और विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है एचएस कोड	
11.	परेषण के भाग को निर्मित करने वाले आयुध की मात्रा या वजन और विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है। एचएस कोड	
12.	आयात का पत्तन	
13.	निर्यात का पत्तन	
14.	आयात और पुन: निर्यात का पत्तन (परिवहन के मार्ग के सहित)	
15.	गन्तव्य स्थान और आयात किए जाने वाले परेषण का मार्ग	
16.	लदाई/यात्रा के लिए लगने में संभावित अनुमानित समय	
17.	आयात के लिए परेषिती का नाम, विवरण और पता	

घोषणा :

मैं,____________, स्वामी/भागीदार/निदेशक/उत्तरदायी व्यक्ति_________ (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही है। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से साथ ही कंपनी के विरुद्ध, आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के सुसंगत उपबंधो के अधीन, कार्रवाई के लिए दायी होंगे।

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख ....

"प्ररूप क-10क

निर्यात, पुन:आयात के लिए निर्यात, और परिवहन के लिए प्ररूप x में आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप

(नियम 87, 90, 91 और 92 देखें)

आवेदक की पहचान		
(1)	(2)	(3)
1.	आवेदक का नाम	
2.	यूआईएन	
3.	पहले से आयुध अनुज्ञप्ति रखने का विवरण और उसकी संख्या	
4.	व्यष्टि/कंपनी की नामावली	
5.	कारबार पता	
	दूरभाष	
	मोबाइल सं0	
	ई-मेल	
6.	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	
7.	आवेदन करने के लिए अनुज्ञप्ति की श्रेणी	निर्यात ☐ पुन: आयात के लिए निर्यात और परिवहन ☐
8.	अनुसूची 1 के अनुसार आयुध या गोला-बारूद की श्रेणी जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है –	
9.	पैकेजों की संख्या	
10.	क्रय आदेश के भाग को निर्मित करने वाले आयुध की मात्रा और विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है एचएस कोड	
11.	क्रय आदेश के भाग को निर्मित करने वाले गोला-बारूद का विवरण और मात्रा या वजन जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है। एचएस कोड	
12.	आयात का पत्तन	
13.	निर्यात का पत्तन	
14.	निर्यात और पुन: आयात का पत्तन	
15.	प्रेषण स्थान और निर्यातित किए जाने वाले परेषण का मार्ग	

16.	लदाई/यात्रा के लिए लगने में संभावित अनुमानित समय	
17.	निर्यात के लिए परेषिती का नाम, विवरण और पता	

घोषणा :

मैं,____________, स्वामी/भागीदार/निदेशक/उत्तरदायी व्यक्ति_________ (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही है। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से साथ ही कंपनी के विरुद्ध, आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के सुसंगत उपबंधों के अधीन, कार्रवाई के लिए दायी होंगे।

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख ....";

(vii) अनुसूची IV में सारणी क में भाग II में, क्रमांक संख्या 15 के सामने, स्तंभ 2 में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"X और X-क आयुधों और गोला बारूद उनके भागों सहित के लिए संयुक्त आयात या निर्यात अनुज्ञप्ति
(आयात के प्रयोजन के लिए प्रत्येक परेषण के लिए और निर्यात के प्रयोजन के लिए प्रत्येक क्रय आदेश के लिए)"।

[फा.सं. वी.-11026/164/2018-आयुध]

एस.सी.एल. दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 701(अ), तारीख 15 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 1342(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2017, सा.का.नि. 1468(अ), तारीख 28 नवंबर, 2017, सा.का.नि. 624(अ), तारीख 11 जुलाई, 2018 और सा.का.नि. 644(अ), तारीख 12 जुलाई,2018 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2018

G.S.R. 1079 (E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Arms Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.–(1)These rules may be called the Arms (Third Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Arms rules, 2016-

(i) in rule 90,-

(a) for the word and letter "Form X", occurring at both the places, the word and letter "Form X-A" shall be substituted;

(b) in sub-rule (1), after the word "Indian Territory", the following shall be inserted, namely:–

"further the export licence shall also be governed by the extant standard operating procedure issued by Department of Defence Production in the Ministry of Defence, from time to time";

(ii) in rule 91, for the word and letter "Form X", occurring at both the places, the word and letter "Form X-A" shall be substituted;

(iii) in rule 92, in sub-rules (1) and (7), after the word and letter 'Form X', the words and letters 'and Form X-A' shall be inserted;

(iv) in rule 99, in sub-rule (1), for the words and letter "or import and export licence in Form X", the words and letter "or import licence in Form X or export licence in Form X-A" shall be substituted;

(v) in Schedule II, in column number 8,–

(a) against Item no. 9(b), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:–

"X- A";

(b) against Item no. 9(c), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:–

"X- A";

(vi) in Schedule III,-

(a) in Part- I,-

(i) in FORM VII, after the form but before the Conditions, the following *explanation* shall be inserted, namely:-

"*Explanation.*- This Form shall apply to firearms and their following parts, namely:-

(a) Barrel;
(b) Cylinder;
(c) Bolt;
(d) Breech Block;
(e) Slide;
(f) Firing Pin;
(g) Frame or Receiver;
(h) Extractor;
(i) Hammer/Striker.";

(ii) in FORM X , for " COMPOSITE IMPORT/EXPORT LICENCE FOR ARMS AND AMMUNITION
Import ☐ Export ☐ Export for Re-Import ☐
In Transit ☐ the following shall be substituted, namely:–

"COMPOSITE IMPORT LICENCE FOR ARMS AND AMMUNITION
Import ☐ In Transit ☐
Import for Re-Export ☐ Transport for Re-Export ☐ ";

(iii) after the FORM X, the following form shall be inserted, namely:-

" FORM X- A

COMPOSITE EXPORT LICENCE FOR ARMS AND AMMUNITION

Export ☐ Export for Re-Import ☐ Transport for Re-Export ☐

(1)	(2)	(3)
1.	Licence No. UIN	
2.	Name, description and address of the Licencee/Exporter	
3.	Name , description and address of agent (if any) authorised for the purpose of export/purchase order	

4.	Arms	
	Description	
	ITC(HS) Code	
	Quantity	
5.	Ammunition	
	Description	
	ITC(HS) Code	
	Quantity	
6.	Purchase Order No.	
7.	Purpose for which required	
8.	Place of Destination and Route	
9.	Period of validity of Licence	
10.	FOB value	
11.	Name of foreign buyer	
12.	Name of Importer	
13.	Port of Export Port of Import	
14.	Ultimate destination of export	
15.	Name of End User	

Explanation.- This Form shall apply to firearms and their following parts, namely:-

(j) Barrel;
(k) Cylinder;
(l) Bolt;
(m) Breech Block;
(n) Slide;
(o) Firing Pin;
(p) Frame or Receiver;
(q) Extractor;
(r) Hammer/Striker.

CONDITIONS

1. The licence is granted as per the extant provisions under the Arms Act, 1959 and the Arms Rules, 2016 subject to provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

2. An Account of the contents of each package shall be legibly written thereon and each package shall be marked with the word “Arms” or “Ammunition” or “Parts and Components” as the case may be, so as to be readily recognisable.

3. The articles shall not be conveyed by any route other than that specified in the licence and bulk shall not be broken nor shall the consignment be stopped, before the articles reach the place of destination.

4. The articles shall be delivered only to a person lawfully entitled to receive them.

5. That the item(s) exported should not be used for purposes other than those declared in End User Certificate.

6. The licence shall be non-transferrable and issued in three original copies.

7. (a) The first copy of the export licence shall be returned to the issuing licensing authority within ten days of the date of export and which date must be duly certified by the Indian customs authorities;

(b) The second copy shall be returned to the issuing licensing authority within a period of ninety days after the export date stated on the export licence, which must bear the signature, an official date and name stamp of the end user, to serve as a delivery verification certificate:

Provided that failure to comply with conditions specified in clause (a) and clause (b) shall result in suspension of all pending and future export transactions of the exporter till the time the said conditions are duly complied with.

8. On completion of the export transaction, the exporter shall retain one original copy of the export licence,bill of lading or airway bill, packing lists and export invoice pertaining to the firearms or ammunition so exported and shall produce the said documents whenever required to do so by the issuing licensing authority.

9. That the item(s) should not be subsequently transferred (re-exported) without the prior authorisation of the original exporting Government.

10. That the item(s) should not be diverted, sold or transferred to any third party whatsoever except as indicated in End User Certificate.

11. If required to provide verification or certification that possession of the item(s) has occurred.

12. The item (s) should not be used for any purpose that relates to development of weapons of mass destruction and their delivery systems.

13. This Licence is further subject to compliance of Export and Import Policy of the Government of India, as amended from time to time.

14. This Licence is valid for a maximum period of two years or completion of the order, whichever is earlier and the validity of Licence may be extended from time to time, based on requirements and merits, by the Competent Authority.

15. The Firm is directed to submit a copy of the Licence duly endorsed (quantity of item exported) by concerned customs authority after export of each consignment.

16. This Licence is being issued for port of loading/port of shipment indicated in the application. If there is any change subsequently, endorsement from the Licencing Authority shall be required.

17. Upon execution of the export order, foreign buyer (as mentioned in the licence) shall intimate to the undersigned and to the Embassy or Mission abroad about the execution, without fail.

The ……. of …… 20……..(Seal) (Signature)

Licencing Authority ________________
Designation _________________

Place___________________”;

(b) in Part II,-

(i) for ‘FORM A10’, the following FORMS shall be substituted, namely;-

“FORM A – 10

FORM OF APPLICATION FOR AN ARMS LICENCE IN FORM X FOR IMPORT, TRANSPORT IN TRANSIT AND IMPORT FOR RE-EXPORT

(See rules 87, 88, 89 and 92)

IDENTITY OF THE APPLICANT

(1)	**(2)**	***(3)***
1.	Name of the applicant	
2.	UIN	
3.	Description of arms licence already held and	

	number thereof	
4.	Nomenclature Individual/Company	
5.	Business Address	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
6.	Name of the responsible person	
7.	Category of licence applied for –	IMPORT ☐ TRANSPORT IN TRANSIT ☐ IMPORT FOR RE-EXPORT ☐
8.	Category of arms or ammunition as per Schedule I for which the licence is sought	
9.	Number of packages	
10.	Description and quantity of arms forming part of the consignment for which the licence is sought	
	HS Code	
11.	Description and quantity or weight of ammunition forming part of the consignment for which the licence is sought	
	HS Code	
12.	Port of Import	
13.	Port of Export	
14.	Port of Import and Re-Export (with route of transport)	
15.	Place of destination and route of consignment to be imported	
16.	Estimated time likely to be taken for the shipment/journey	
17.	Name, description and address of consignee for Import	

Declaration:

I, _______________________, the proprietor/partner/director/ responsible person of ____________________ (the company), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

____
Signature of the applicant

Place ______________

Date _______________

FORM A – 10A

FORM OF APPLICATION FOR AN ARMS LICENCE IN FORM X FOR EXPORT, EXPORT FOR RE-IMPORT AND TRANSPORT

(See rules 87,90, 91 and 92)

IDENTITY OF THE APPLICANT

(1)	(2)	(3)
1.	Name of the applicant	
2.	UIN	
3.	Description of arms licence already held and number thereof	
4.	Nomenclature Individual/Company	
5.	Business Address	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
6.	Name of the responsible person	
7.	Category of licence applied for –	Export ☐ Export for Re-import and Transport
8.	Category of arms or ammunition as per Schedule I for which the licence is sought	☐
9.	Number of packages	
10.	Description and quantity of arms forming part of the purchase order for which the licence is sought	
	HS Code	
11.	Description and quantity or weight of ammunition forming part of the purchase order for which the licence is sought	
	HS Code	
12.	Port of Import	
13.	Port of Export	
14.	Port of Export and Re-Import	
15.	Place of dispatch and route of consignment to be exported	
16.	Estimated time likely to be taken for the shipment/journey	
17.	Name, description and address of consignee for export	

Declaration:

I, ______________________, the proprietor/partner/director/ responsible person of ___________________ (the company), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

____
Signature of the applicant

Place ______________

Date _______________";

(vii) in Schedule IV, in Table A, in Part II, against the serial number 15, in column 2, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:–

"X and X-A Composite Import or Export licence for arms and ammunition including parts thereof

(for each consignment for the purpose of import and for each purchase order for the purpose of export)".

[F.No.V-11026/164/2018-Arms]

S C L DAS, Jt. Secy.

Note: The Principle Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part, II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* G.S.R. 701(E), dated the 15th July, 2016 and subsequently amended *vide* G.S.R. 1342(E), dated the 27th October, 2017, G.S.R. 1468(E), dated the 28th November, 2017, G.S.R. 624(E), dated the 11th July, 2018 and G.S.R. 644(E), dated the 12th July, 2018 .

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.11.01 18:11:26 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4400] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 1, 2018/कार्तिक 10, 1940
No. 4400] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 2018/KARTIKA 10, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2018

का.आ. 5607(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2049 (अ), तारीख 22 मई, 2018 के अधिक्रमण में यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन जो शक्तियां और कार्य इसके द्वारा प्रयोग और निष्पादित किए जाते हैं, निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भी प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, आयुध नियम, 2016 की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट आयुध और गोला बारूद के आयात के लिए;

(ख) सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, आयुध नियम, 2016 की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट आयुध और गोला बारूद के निर्यात के लिए ।

2. इस अधिसूचना के अधीन शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन उक्त अधिकारियों के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित नीतियों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा तथा गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना इनसे संबंधित न कोई नई नीति निरूपित करेगा और न ही कोई अनुदेश जारी करेगा; और

(ii) केन्द्रीय सरकार, यदि कार्रवाई का ऐसा अनुक्रम उसकी राय में लोकहित में आवश्यक है, तो वह ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा कार्यों को या तो वापस ले सकेगी या स्वयं उक्त धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन कर सकेगी ।

[फा.सं. वी.-11026/164/2018-आयुध]

एस.सी.एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2018

S.O. 5607(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), and in supersession of the notification of the Government of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2049(E), dated the 22nd May, 2018 the Central Government hereby directs that, the powers and functions which are exercised and performed by it under section 10 of the said Act, shall also be exercised and performed by the following officers, namely: -

(a) the Secretary to the Government of India in the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry or an officer authorised by him in this behalf for import of Arms and Ammunition as specified in Schedule I of Arms Rules, 2016;

(b) the Secretary to the Government of India in Department of Defence Production, Ministry of Defence or an officer authorised by him in this behalf for export of Arms and Ammunition as specified in Schedule I of the Arms Rules, 2016.

2. The powers and functions under this notification shall be exercised and performed by the said officers subject to following conditions, namely: -

(i) The Secretary to the Government of India in the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry and the Secretary to the Government of India in Department of Defence Production, Ministry of Defence shall observe the policies and instructions laid down by the Central Government in the Ministry of Home Affairs and shall not enunciate any new policy or issue instructions in relation thereto without the prior consent of the Central Government in the Ministry of Home Affairs; and

(ii) The Central Government may revoke such delegation of powers and functions or may itself exercise or perform the powers or functions under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F.No.V-11026/164/2018-Arms]

S. C. L. DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.11.01 17:42:17 +05'30'